तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज GCMS No. 2025/1132 श्रीमती मिलन जोशी v/s तहसीलदार सूरजगढ़	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/25	पत्रावली न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। दर्ज रजिस्टर करें। रेस्पो. नं. 2 की ओर से श्री रामाराम चौधरी एड. ने आवेदन अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी मय वकालतनामा पेश किया। शा.फा. हो। अपीलांट व रेस्पो. नं. 1 को तलबी की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी व तहत रिकार्ड तलब कर तथा बहस प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 151 शा.हे.हेतु दिनांक 12/5/25 को पेश हो।	
12.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट्स ने प्रार्थना पत्र अपील विड्रो करने आवेदन अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया। शा.फा. हो। अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अपील विड्रो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आज की तारीख पेशी हेतु नियत है। उपरोक्त उनवानी अपील उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ दिनांक 25.11.2016 एवं तहसीलदार सूरजगढ दिनांक 25.11.2016 एवं तहसीलदार आदेश दिनांक 7.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील है। उपरोक्त वर्णित दोनों आदेश उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ दिनांक 25.11.2016 एवं तहसीलदार आदेश दिनांक 7.11.2016 के विरूद्ध अप्रीलार्थीगण मिलन जोशी व विनोद कुमार जोशी की ओर से निगरानी याचिका संख्या 7801/2017 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष भी अपीलाधीन अनुतोष के संबंध में ही प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर अपने आदेश दिनांक 08.04.2025 द्वारा प्रार्थीया चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाकर अपीलाधीन दोनों आदेशों को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ को रिमाण्ड किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अपील में चाहा गया अनुतोष माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त हो गया है इसलिये अपीलार्थी उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है विड्रो करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को विड्रो किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावे। हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी स्वंय ही उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी का प्रा. पत्र अपील विड्रो किये जाने स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण स्वंय अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। (दीप्ति कछवाहा) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

Milan Joshi